

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143]
No. 143]

दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 2013/भाद्र 19, 1935
DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2013/BHADRA 19, 1935

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 124
[N.C.T.D. No. 124

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

शुद्धि पत्र

दिल्ली, 10 सितम्बर, 2013

सं. फा. 04/3/2007/यूडी/एमबी/17550.—दिनांक 23-10-2012 की सं. फा. 4/3/2007/यूडी/13393 के अनुसार जारी एवं दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-IV (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संख्या 171) में प्रकाशित "नई दिल्ली नगर परिषद्(मल निकासी) उपविधियां, 2012" की अधिसूचना की तिथि 23 अक्टूबर, 2012 के रूप में पढ़ा जाए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. वी. प्रेमनाथ, संयुक्त सचिव (शहरी विकास)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

CORRIGENDUM

Delhi, the 10th September, 2013

No. F. 4/3/2007/UD/MB/17550.—The date of Notification of "The New Delhi Municipal Council (Drainage) Bye-laws, 2012" issued *vide* No. F. 4/3/2007/UD/13393 dated 23-10-2012 and published in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV (N.C.T.D. No. 171), may be read as 23rd October 2012.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. V. PREM NATH, Jt. Secy. (UD)